

राजस्थान सरकार
कार्यालय:-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा

क्रमांक:- जिशिअ/मु/मा/दौसा/स्था./संस्था/2019/126-133

दिनांक:- 29.09.2019


कार्यालय - आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्यमिक/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/32 दिनांक 28.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानान्तरित स्थान पर किया जाता है। सम्बन्धित संस्था प्रधान तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

Sr. No.	Sr. No.	नाम	पद	कहाँ से	जिला	कहाँ को	जिला
1	210	जगनी देवी	च.श्रे.क.	कार्या. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, दौसा	दौसा	यथावत	दौसा
2	213	स्वरूपी मीना	च.श्रे.क.	ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी सिकराय जिला दौसा	दौसा	रामावि गगवाना(महवा) जिला दौसा	दौसा
3	214	श्री रामावतार शर्मा	च.श्रे.क.	राउमावि पीलोडी	दौसा	राउमावि ब्राह्मण बैराडा	दौसा

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे।

01. राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
02. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन, ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
03. प्रोवेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे।
04. टीएसपी से नॉन टीएसपी जिले में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किये जावे।



जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिकदौसा

दिनांक 29-9-2019

क्रमांक :-जिशिअ/मा/मु/दौसा/संस्था/स्थानान्तरण/2019-20/126-133

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिकराय/महवा।
5. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी दौसा।
6. प्रधानाचार्य राउमावि पीलोडी/राउमावि ब्राह्मण बैराडा।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक दौसा

राजस्थान सरकार
कार्यालय:-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा

क्रमांक:- जिशिअ/मु/मा/दौसा/स्था./संस्था/2019/

दिनांक:- 29.09.2019


कार्यालय - आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य /साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/32 दिनांक 28.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न कनिष्ठ सहायको का स्थानान्तरण इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानान्तरित स्थान पर किया जाता है। सम्बन्धित संस्था प्रधान तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

Sr. No.	Sr. No.	नाम	पद	कहाँ से	जिला	कहाँ को	जिला
1	219	बद्रीनारायण गुर्जर	कनिष्ठ सहायक	डाईट बसवा जिला दौसा	दौसा	राउमावि देलाडी ब्लॉक बान्दीकुई जिला दौसा	दौसा


उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधिन होंगे।

01. राजस्थान स्वच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
02. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन, द्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
03. प्रोवेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे।
04. टीएसपी से नॉन टीएसपी जिले में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किये जावे।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिकदौसा

क्रमांक :-जिशिअ/मा/मु/दौसा/स्थानान्तरण/संस्था/2019-20/134-140 दिनांक 29-09-19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बान्दीकुई।
5. प्रधानाचार्य डाईट बसवा/राउमावि देलाडी बान्दीकुई।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक दौसा